संख्या-215/2018/2136/22-2-2017-17(174)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र श्री रामचरन, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-30218/प्रोबेशन-3(एम 22.06.2017) दिनांक 22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र श्री रामचरन, जो कुंवरपुर, थाना-शेरगढ, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी का चाल चलन अच्छा न होने के कारण पत्नी मायके में रह रही थी। बन्दी ने दिनांक 14/15-11-1998 की रात्रि लगभग 01:00 बजे ससुर भूपराम से पत्नी को विदा करने व रूपये 25000/- की मॉग की, मॉग पूरी करने से मना करने पर भूपराम की छूरी/चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-343, 344/99 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, रामपुर के आदेश दिनांक 27.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2017 तक 18 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी का चाल चलन अच्छा न होने के कारण पत्नी मायके में रह रही थी। बन्दी ने दिनांक 14/15-11-1998 को ससुर भूपराम से पत्नी को विदा करने व रूपये 25000/- की मॉग की, भूपराम द्वारा मॉग पूरी करने से मना करने पर छूरी/चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष 03 माह लगभग है, बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र श्री रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम (बन्दी संख्या-39217) पुत्र श्री रामचरन, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-215/2018/2136(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-215/2018/2136@22-2-2017-17(174)/2011

दिनांक 27 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र श्री रामचरन, जो कुंवरपुर, थाना-शेरगढ, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी का चाल चलन अच्छा न होने के कारण पत्नी मायके में रह रही थी। बन्दी ने दिनांक 14/15-11-1998 की रात्रि लगभग 01:00 बजे ससुर भूपराम से पत्नी को विदा करने व रूपये 25000/- की मॉग की, मॉग पूरी करने से मना करने पर भूपराम की छूरी/चाकू से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-343, 344/99 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, रामपुर के आदेश दिनांक 27.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2017 तक 18 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी का चाल चलन अच्छा न होने के कारण पत्नी मायके में रह रही थी। बन्दी ने दिनांक 14/15-11-1998 को ससुर भूपराम से पत्नी को विदा करने व रूपये 25000/- की मॉग की, भूपराम द्वारा मॉग पूरी करने से मना करने पर छूरी/चाकू से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष 03 माह लगभग है, बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ राजाराम पुत्र श्री रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in